



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272999
CG-DL-E-30052026-272999

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2606]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2699(अ).— केन्द्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4921(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2025 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों में उक्त संहिता के अध्याय 3 के अधीन आने वाले स्थापनों के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रों में नियोक्ताओं से नुकसान के उद्ग्रहण और वसूली के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	कार्यालय	वह क्षेत्र जिसके संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ii) अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (iii) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (iv) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (v) प्रवर्तन अधिकारी	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	सम्पूर्ण भारत

[फा. सं. एस-35025/15/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2699(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of Ministry of Labour and Employment Notification number S.O. 4921(E) dated 29th October, 2025 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the officers specified in column (2) of the Table below in the office specified in column (3) to levy on and recover from the employers by way of damages in the respective areas specified in column (4) of the said Table below in relation to establishments covered under Chapter III of the Code.

TABLE

Sl. No.	Designation of officer	Office	Area in relation to which jurisdiction to be exercised
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i) Central Provident Fund Commissioner (ii) Additional Central Provident Fund Commissioner (iii) Regional Provident Fund Commissioner (iv) Assistant Provident Fund Commissioner (v) Enforcement Officer	Employees' Provident Fund Organisation	The whole of India

[F. No. S-35025/15/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.